

**समाहरणालय, मुंगेर**  
(जिला निर्वाचन कोषांग, नगर निगम, मुंगेर)

**आदेश**

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त -सह- अपर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना के पत्रांक 50-168/2012-2884 दिनांक 14.11.2013 द्वारा नगरपालिकाओं के पार्षदों के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन कराये जाने के संबंध में कार्यक्रम निम्न प्रकार है :-

1. सूचना का प्रकाशन - 27.11.2013
2. मतदान की तिथि - 29.12.2013
3. मतगणना की तिथि - 30.12.2013

उक्त उप चुनाव को सम्पन्न कराने हेतु निम्न प्रकार से कोषांगों का गठन किया जाता है :-

**1. कार्मिक कोषांग :-**

इस कोषांग का गठन आसन्न नगर निगम उप निर्वाचन, 2013 के लिए कार्मिक/पदाधिकारी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से किया जाता है। जिलान्तर्गत सभी मतदान केन्द्रों के लिए मतदान दल, गश्तीदल-दण्डाधिकारी, जोनल-दण्डाधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार अन्य कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार कर्मियों/पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु जिलान्तर्गत राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों एवं पदाधिकारियों की सूची इस कोषांग द्वारा प्राप्त कर इनका नियुक्ति पत्र तैयार कर इसका तामिला कराना इस कोषांग का मुख्य दायित्व होगा। इस संदर्भ में यह निदेश दिया जाता है कि निर्वाचन की तिथि कम से कम 15 दिन पूर्व चुनाव में लगाये जाने वाले सभी कर्मियों को नियुक्ति पत्र का तामिला निश्चित रूप से करा दिया जाय ताकि इन कर्मियों को मतदान संबंधी प्रशिक्षण तीन चरणों में दिलाया जा सके।

मतदान दलों के गठन में यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि मतदान कर्मियों का गृह प्रखंड एवं पदस्थान का प्रखंड प्रतिनियुक्ति स्थल से भिन्न प्रखंड हो।

गश्तीदल दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी/सब जोनल दण्डाधिकारी के लिए भी नियुक्ति पत्र तैयार करना और इनका तामिला कराने का कार्य इस कोषांग के जिम्मे होगा। नियुक्त दण्डाधिकारियों के लिए मुंगेर नगर निगम से प्राप्त रूट चार्ट प्रतिवेदन के आधार पर मतदान केन्द्रवार जिला मुख्यालय को केन्द्र मानते हुए इस कोषांग द्वारा चार्ट तैयार किया जायेगा। इन दण्डाधिकारियों को जिस तिथि को योगदान देने हेतु जिला मुख्यालय बुलाया जायेगा, उस तिथि को ही उन्हें अग्रिम यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु आवश्यकतानुसार सहायक/नाजिर की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करेंगे। सभी नियुक्ति पत्र के तामिला के लिए आवश्यकता एवं अध्याचना के आलोक में वाहन कोषांग द्वारा वाहन की व्यवस्था की जायेगी।

मतदान कर्मियों को यात्रा भत्ता अग्रिम भुगतान की देय राशि की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी से लेने के बाद तदनुसार राशि की गणना कर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को राशि उप आवंटित की जायेगी। इसका भुगतान कर्मियों को उनके योगदान देने वाले निर्धारित स्थानों पर किया जायेगा। दृश्य उप समाहर्ता, कार्मिक कोषांग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान राशि का आकलन कर सभी निर्वाची पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु विवरणी वितरण की तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को भेज देंगे ताकि भुगतान राशि उपलब्ध ससमय करायी जा सके। अग्रिम का भुगतान संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

मतगणना हेतु पदाधिकारियों/पर्यवेक्षकों/सहायकों/अनुसेवकों का नियुक्ति पत्र तैयार करना एवं तामिला कराना आदि भी इसी कोषांग का दायित्व होगा।

इस कोषांग के संचालन हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों एवं अनुसेवकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :-

1. श्री भानु प्रकाश - वरीय उप समाहर्ता
2. श्री प्रवीण कुमार - लिपिक, जिला स्थापना शाखा, मुंगेर।
3. श्री रामानन्द शर्मा - लिपिक, जिला स्थापना शाखा, मुंगेर।
4. श्री सेबेस्टीन बास्की - कार्यालय, परिचारी, जिला स्थापना शाखा, मुंगेर।
5. श्री जवाहर सिंह - कार्यालय, परिचारी, जिला स्थापना शाखा, मुंगेर।

## 2. सामाग्री कोषांग

यह कोषांग उप विकास आयुक्त, मुंगेर के कार्यालय में कार्यरत रहेगा। निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्रियों का आकलन करते हुए पर्याप्त समय रहते विभिन्न प्रकार के प्रपत्र एवं अन्य सामग्रियों की आवश्यकता संबंधी आकलन प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को देंगे ताकि इसके आधार पर मतदान सामग्रियों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा सके। अपेक्षित मात्रा में जिला निर्वाचन कार्यालय से मतदान सामग्रिया प्राप्त कर मतदान केन्द्रवार पैकेट तैयार कर मतदान की निर्धारित तिथि से कम से कम पाँच दिन पूर्व संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों को इसे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य के लिए आवश्यकता के आलोक में अध्याचना पर वाहन कोषांग द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर द्वारा मतदान केन्द्रवार मतदातासूची की कार्यकारी प्रति 7 प्रतियों में तैयार कर इस कोषांग को उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त 7 प्रति कार्यकारी मतदातासूची में से तीन प्रति संबंधित मतदान केन्द्र के पैकेट में रखा जायेगा एवं 4 प्रति सुरक्षित रखी जायेगी। मतदातासूची का विखण्डन संबंधित निर्वाची पदाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा।

1. श्री बीरेन्द्र कुमार - वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर।
2. श्री सतीश सहाय - लिपिक, जिला अभिलेखागार, मुंगेर।
3. शंकर साह - कार्यालय परिचारी, जिला सामान्य शाखा, मुंगेर।

## 3. ई0वी0एम0 सीलिंग-सह- प्रशिक्षण कोषांग :-

इस कोषांग का गठन ई0वी0एम0 को चुनाव हेतु तैयार करने सिलिंग करने तथा कार्मिकों को ई0वी0एम0 संचालन का प्रशिक्षण देने हेतु किया जाता है। क्योंकि यह चुनाव ई0वी0एम0 से कराया जाना है, ई0वी0एम0 के संचालन का प्रशिक्षण मतदान दलों को देने हेतु इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। प्रशिक्षण का कार्य चुनाव की तिथि से एक सप्ताह पूर्व सम्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाय। प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने वाले सभी पदाधिकारी एवं कार्मिकों से प्रशिक्षण के पश्चात् विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

ई0वी0एम0 सिलिंग का काम इस कोषांग का प्रमुख दायित्व है जिसे पूर्ण सजगता से किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए प्रभारी पदाधिकारी अपने स्तर से अभियंताओं एवं सहायकों तथा अनुसेवकों की प्रतिनियुक्ति एन0 आई0 सी0/कार्मिक कोषांग से सूची प्राप्त कर करेंगे। ई0वी0एम0 को नगर निगम, मुंगेर के चुनाव हेतु तैयार करने से पूर्व जिला पंचायत कार्यालय, मुंगेर से प्राप्त ई0वी0एम0 में यदि कोई डाटा हो तो उसे ई0वी0एम0 से हटाने के पश्चात् वैलेट यूनिट एवं कन्ट्रोल यूनिट की सिलिंग का कार्य किया जाय। ई0वी0एम0 तैयार करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी की सील से वैलेट यूनिट एवं कन्ट्रोल यूनिट को सील कर राज्य निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त निर्देश के आलोक में तैयार करेंगे। निर्वाचन हेतु तैयार ई0वी0एम0 को सुरक्षित रखने हेतु संबंधित ब्रजगृह प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। ब्रजगृह प्रभारी पदाधिकारी निर्धारित प्रपत्र की पंजी में संधारित कर इसे सुरक्षित ब्रजगृह में रखेंगे तथा ससमय संबंधित गश्तीदल-दण्डाधिकारी के मतदान केन्द्र पर उपलब्ध कराने हेतु पावती लेकर हस्तागत करायेंगे।

मतदान केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले ई. वी. एम. एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाले ई. वी. एम. की व्यवस्था जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर अपने स्तर से ई. वी. एम. कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस कोषांग के संचालन हेतु निम्नांकित पदाधिकारी, सहायक एवं अनुसेवकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

1. सैयद गुलाम मोहम्मद - सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर।
2. नबी अहमद - सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि० संगठन, मुंगेर।
3. पवन कुमार - लिपिक, जिला सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।
4. परवेज अहमद - कार्यालय परिचारी, जिला सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।

#### 4. वाहन कोषांग :-

नगरनिगम उप निर्वाचन, 2013 के लिए गठित मतदान दलों/मतदान सामग्रियों/गश्तीदलों/अर्द्धसैनिक बलों एवं अन्य सुरक्षा बलों के परिवहन हेतु प्रर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से इस कोषांग का गठन किया जाता है। यह कोषांग जिला में उपलब्ध सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग के वाहनों का नियमानुसार अधिग्रहित कर वाहन कोषांग में जमा करने की तिथि संबंधी आदेश अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर लेंगे। तदनुसार वाहनों को निर्धारित स्थल पर जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रयुक्त वाहनों के लिए अनुमानित ईंधन का आकलन कर तुरन्त प्रतिवेदित करेंगे ताकि आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा सके। जिला स्थित किसी पेट्रोल पम्प मालिक के साथ एक बैठक की तिथि अधोहस्ताक्षरी से निर्धारित करवा कर चुनाव में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के लिए ईंधन आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

चुनाव समाप्ति के बाद पेट्रोल पम्प मालिक से अभिश्रव प्राप्त कर सभी जमा लॉग बुक एवं ईंधन कूपन की अधकट्टी (Counter Foil) से इसकी जाँच कर अपने मन्तव्य के साथ अभिश्रव जिला निर्वाचन कार्यालय में निश्चित रूप से 7 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेख करना है कि इन कार्यों की समाप्ति के बाद ही प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मिकों को विरमित करेंगे।

इस कोषांग कि सफल संचालन हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

1. डा० आजाद शहाबुद्दीन - प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री बलराम राणा - लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर।
3. श्री मिट्टु प्रसाद - कार्यालय परिचारी, जिला आपदा शाखा, मुंगेर।

#### 5. बज्रगृह कोषांग :-

इस कोषांग का गठन चुनाव समाप्त हो जाने के पश्चात् पॉल्ड ई. वी. एम. को बज्रगृह में सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है। साथ ही मतदान कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाले सील्ड ई. वी. एम. भी इसी बज्रगृह में रखा जायेगा।

बज्रगृह का निर्माण जिला परिषद् भवन के उपरी तल पर पूर्व-दक्षिण कोना पर अवस्थित (घोला मंडलम् के कार्यालय वेश्म) कमरा एवं मतगणना के लिए उप विकास आयुक्त के कार्यालय वेश्म सहित बाहरी परिसर (ग्रिल के अन्दर का भाग) चयनित किया गया है। अतः यहाँ पर बज्रगृह एवं मतगणना स्थल के निर्माण का प्रस्ताव निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में तैयार कर नक्शा सहित कार्यपालक, अभियन्ता भवन प्रमण्डल, मुंगेर जिला निर्वाचन कार्यालय, मुंगेर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

